

श्रीमान

श्रीमान जी प्रार्थी की जमाती रामदास पुत्र मलदास वर्ष 2015-16 में रामदास पुत्र मलदास के नाम से है।
जबकी अन्य दस्तावेजों में रामदास पुत्र मलदास जाति वैरागी के नाम से है।

अतः श्रीमान जी प्रार्थी का नाम रामदास के स्थान पर रामदास छत्ते का आदेश जमावे।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार

प्रार्थी के कोचक-पत्र, पहचान इस्तान्ज तथा परकारी-1UR के अनुसार प्रार्थी का नाम रामदास रिपोर्ट के "रामदास" के स्थान पर "रामदास" संशोधित किया जाके ही अभिलेख की जाती है।

नायब तहसीलदार

G.C.M.S:-2022/79

89/2022
3/3/22

प्रार्थी तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। मुनाबिक पदनामी/शु.अ.नि./तहसीलदार लूनरुल्लाह मनुशंक प्रार्थी का नाम रामदास के स्थान पर रामदास इब्नत लिखे जाने के आदेश लिखे जाते हैं। प्रार्थी व्यक्ति से शुक्रादेश एक पाठक शामिल है।



उपखण्ड अधिकारी